न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 212/2022 जिला–अजमेर

भंवर सिंह पुत्र धूल सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्त्यारआम श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री भगवान प्रसाद शर्मा, जाति ब्रहम्ण, निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर
2. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जरिये सचिव।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 08–07–2016
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 33/2013
बउनवान भंवर सिंह बनाम सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी

————

उपस्थित– 1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 14–09–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत खातेदारी आराजियात खसरा नम्बर 1607 जिसके हाल खसरा नम्बर 2084/2436 रकबा 0.35 हैक्टर को दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही के सरकारी सिवायचक दर्ज कर दिया जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8–7–2016 द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखकर विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजियात बाबत चौसाला जमाबंदी में अपीलार्थी का नाम दर्ज होने तथा चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करते समय अपीलार्थी की उक्त आराजियात को सहवन से त्रुटिवश अप्रार्थी संख्या 2 के नाम सरकारी सिवायचक दर्ज कर दी जिसकी दुरूस्ती हेतु अपीलार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपीलार्थी को कह रखा था कि उक्त प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का है जिसमें किसी प्रकार के सक्ष्य गवाह के बयान नहीं होते है तथा उक्त प्रकरण निस्तारण होने पर आपको सूचित कर दिया जायेगा । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में नियत कर उक्त पत्रावली का निस्तारण कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो सकी एवं अपीलार्थी के पूर्व अभिभाषक द्वारा उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी का नहीं दी तथा अपीलार्थी दिनांक 13–5–2022को अपने नवीन अभिभाष्क श्री महेन्द्र सिंह चौहान से अपने उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी चाही तो उनके द्वारा अवगत कराया कि उक्त आदेश दिनांक 8–7–2016 के बारे में बताया तब अपीलार्थी ने उक्त आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 13–5–2022 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 16–5–2022 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात दिनांक 24–5–2022 को अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील जानकारी दिनांक से प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथन स्वीकार योग्य नहीं है। राजस्व ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर के नये खसरा नम्बर 2084/2436 से संबंधित है। राजस्व ग्राम चाचियावास के नये खसरा नम्बर 2084/2436 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म बारानी–3 जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/292 दिनांक 27–9–2013 सिवायचक से अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरित भूमि है। जो कि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है। अपीलार्थी को वर्तमान में उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अपीलार्थी किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय से उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करवाने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलार्थी को प्रत्येक दिन की देरी/विलम्ब को माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के

छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी के पिता धूल सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत के नाम जमाबंदी सम्वत 1349 फसली में आराजी खसरा नम्बर 1325 रकबा 15–6–0 बीघा बारानी 3 अपीलार्थी की अन्य आराजियात के साथ खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी तथा धूल सिंह के निधन के पश्चात उक्त आराजी अपीलार्थी के नाम तत्कालीन जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019, 2020 से 2023 एवं अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 तक अपीलार्थी के नाम अन्य आराजियात के साथ खसरा नम्बर 1325 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा दर्ज चली आ रही है। दौराने बन्दोबस्त सेटलमेंट विभाग द्वारा चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करते समय बिना सक्षम न्यायालय एवं प्राधिकरी के आदेश के बिना अंतिम चौसाला जमाबंदी का इन्द्राज वर्किंग जमाबंदी के खसरा नम्बर 1607, 1609, 1610, 1611 निर्मित कर खसरा नम्बर 1607 को सरकारी सिवायचक दर्ज कर दिया तत्पश्चात उक्त खसरा नम्बर 1607 के नये खसरा नम्बर 2084/2436 रकबा 0.35 हैक्टर बनाकर चौसाला जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 में सिवायचक दर्ज कर दी जिसके सबंध में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर विधिविरूद्ध आदेश परित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आरायिजात बाबत खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 से 2033 एवं 2035 से 2038 एवं 2039 से 2042 में अपीलार्थी की काश्त दर्ज चली आ रही है एवं वर्तमान में मौके पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे वर्तमान खसरा नम्बर 2084/2436 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 21–7–2016 नियत की गई थी परन्तु उक्त पत्रावली को कोर्ट कैम्प न्याय आपके द्वार लोक अदालत में अपीलार्थी को बिना साक्ष्य व सुनवाईका अवसर प्रदान किये प्राकृतिक नियमों के विपरीत जाकर अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के अभिभाषक की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के इन्द्राज दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र को दिनांक 8–7–2016 को यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि उक्त प्रार्थना पत्र अंतिम चौसाला के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा चाहे गये संशोधन से राजहित प्रभावित होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ घासीराम पुत्र लादू, ओंकार पुत्र रंगलाल इत्यादि के द्वारा स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया था कि विवादित आराजियात पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–7–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के राजकीय अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–2016 विधिअनुसार गुणावगुण पर पारत किया गया है जो किसी भी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि राजस्व ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर के नये खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म बारानी–3 जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/292 दिनांक 27–9–2013 सिवायचक से अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरित भूमि है। जो कि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है। अपीलार्थी को वर्तमान में उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायसंगत नहीं है क्योकि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत कर ही प्राप्त किया जा सकता है । अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया था यह एक समरी प्रोसिडिंग के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने हेतु ही प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 136 में गलतियों का शुद्धिकरण किया जाता है। जिसमें भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिय जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात किस ग्राम व तहसील में स्थित है उक्त बाबत अपील में कोई अंकन नहीं किया गया है जिस कारण अपीलार्थी किसी भी प्रकार से अनुतोष प्रदान करने अधिकारी नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि के स्वत्व अजमेर विकास प्रधिकरण में निहित हो चुके है एवं विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं रहने से अपीलार्थी को विवादित भूमि का कभी भी खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । पिछलें वर्षो में अपीलार्थी का ना तो विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है ना ही लगान

अदा किया गया है जिससे अपीलार्थी कृषक की परिभाषा में नहीं आता है। इस कारण से अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरित करने से पूर्व सिवायचक भूमि होना अपीलार्थी ने स्वीकार किया है लेकिन सिवायचक दर्ज होने की प्रविष्ठ हो जरिये वाद चुनौती प्रदान नहीं की गई है जिससे अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित होने के प्श्चात अपीलार्थी का दुरूस्ती बाबत अधिकार वेव हो जाने से अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि बन्दोबस्त कार्य वादग्रस्त भूमियों के अवस्थित क्षैत्र का पूर्ण हो जाने के कारण उक्त प्रकरण की दुरूस्ती का क्षैत्राधिकार अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट माननीय न्यायालय में निहित नहीं रहा है क्योंकि संबंधित तहसील का भू–प्रबन्ध का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात भी भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट निर्णित नहीं हो पाते है। जिनकी सुनवाई के क्षैत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। उत्तरदाता एक प्रकार का प्राधिकरण है जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के हितार्थ, सुविधार्थ, जनउपयोगी कार्य/योजनाओं का क्रियान्वयन करना व अधिक से अधिक आम जनता को लाभ पहुचाना है जिस कारण अपलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर उत्तरदाता को बिना कारण ही हैरान व परेशान करने व अविधिक लाभ प्राप्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–07–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपलार्थी के विद्वान अभिभाषक की अपील पर सुनी बहस एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम चाचियावास में स्थित विवादित आराजियात अपलार्थी के पिता स्व0 श्री धूल सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत के नाम जमाबंदी सम्वत 1349 फसली में आराजी खसरा नम्बर 1325 रकबा 15–6–0 बीघा बारानी–3 अपीलार्थी की अन्य आराजियात के साथ खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1607 जिसके हाल खसरा नम्बर 2084/2436 रकबा 0.35 हैक्टर बने है जिसको चौसाला जमाबंदी सम्वत 2067–2070 में सिवायचक दर्ज कर दिया गया जबकि पूर्व में विवादित आराजियात भंवर सिंह वल्द धूल सिंह के नाम से चली आ रही है। विवादित आराजियात खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 से 2022 एवं 2035 से 2038 एवं 2039 से 2042 में अपीलार्थी की काश्त दर्ज चली आ रही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1607 जिसके नये खसरा नम्बर 2084/2436 रकबा 0.35 हैक्टर को किस सक्षम अधिकारी के आदेश के सिवायचक दर्ज किया गया है, का कोई अंकन नहीं है। विवादित आराजियात दौराने भू–प्रबन्ध सिवायचक दर्ज होने से जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपीलार्थी की कब्जे काश्त की आराजियात को अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम हस्तांतरित

कर दी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न घासीराम पुत्र लादू, ओंकार पुत्र रंगलाल इत्यादि के शपथ पत्रों का अवलोकन किया जिसमें उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि विवादित आराजियात पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जबकि तहसीलदार, अजमेर को विवादित आराजियात की भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व कब्जे की जांच की जानी चाहिए थी। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 21–7–2016 नियत होने के बावजूद प्रस्तुत प्रकरण में न्याय आपके द्वार केम्प मे पत्रावली दिनांक 8–7–2016 को रखकर अपीलार्थी को सूचित किये बिना एवं सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता की विधिवत सुनवाई कर गुणावगुण पर विधिक प्रक्रिया अपनाकर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–07–2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–07–2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 33/2014 भंवर सिंह बनाम सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने व विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेजी साक्ष्य का भंलीभांति अध्ययन कर तहसीलदार, अजमेर से विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1607 जिसके हाल खसरा नम्बर 2084/2436 रकबा 0.35 हैक्टर पर कब्जे की पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 14–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर